[अनुवाद]

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। नियम 377 के अन्तर्गत केवल वही वक्तव्य दिया जा सकता है जिसे पहले से ही मंजूरी मिली हुई है। लेकिन माननीय सदस्य ने कुछ ऐसा कहा है जो कि उनके स्वीकृत वक्तव्य का अंश नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपसे सहमत हूं। इसे वक्तव्य में शामिल नहीं किया जाएगा।

(पांच) उत्तर प्रदेश के फतेहपुर कस्बे में एक उपरि पुल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद (फतेहपुर) : अध्यक्ष महोदय, जनपद फतेहपुर उ.प्र. में रेलवे पुल न होने से यातायात अवरुद्ध हो जाता है जिससे आकस्मिक बीमारी के कारण प्रति वर्ष सैकड़ों लोग मरते हैं तथा दुर्घटनायें होती हैं।

मैं सरकार से फतेहपुर शहर में रेलवे लाइन के ऊपर पुल बनवाने की मांग करता हूं।

(छः) उत्तराखंड आन्दोलन के दौरान पुलिस की गोली-बारी के शिकार लोगों को मुआवजा दिये जाने की आवश्यकता

श्री सतपाल महाराज (गढ़वाल) : अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं लोक महत्व के निम्नलिखित विषय को ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं :

1994 में उत्तराखण्ड राज्य निर्माण हेतु चल रहे आन्दोलन के दौरान पुलिस एवं प्रशासन द्वारा शहीद, घायल एवं उत्पीड़ित उत्तराखण्डवासियों को मुआवजे के रूप में लगभग 36 करोड़ रुपये उच्च न्यायालय के आदेशानुसार आवंटित किए गए। किन्तु अनेक उत्पीड़ित एवं घायल उत्तराखण्डवासी मुआवजे की राशि को प्राप्त करने से वंचित रह गए और उन्हें किसी प्रकार की सहायता नहीं मिली।

सरकार से मेरा साग्रह निवेदन है कि ऐसे मामलों की जांच कर वास्तविक रूप में घायल उत्पीड़ित और शहीद हुए व्यक्तियों के निकट सम्बन्धियों को भी मुआवजा दिलवाने का प्रबन्ध करें।

[अनुवाद]

(सात) पुरूलिया में विमान से हथियार गिराये जाने के मामले की जांच किये जाने की आवश्यकता

श्री बीर सिंह महतो (पुरूलिया) : पश्चिम बंगाल के पुरूलिया जिले में झालडा पुलिस स्टेशन के खटांग, गुनेडीह तथा बरदीह गांवों में एक विदेशी विमान द्वारा काफी बड़ी मात्रा में घातक हथियार गिराये गए थे। जो हथियार पाए गए उनमें ए के 47, ए के 56, राकेट प्रक्षेपास्त्र गोले, हथगोले, 9 एम.एम. रिवाल्वर तथा काफी मात्रा में गोला-बारूद था। यह क्षेत्र मेरे चुनाव क्षेत्र का एक भाग है जिसका मैं अब प्रतिनिधित्व कर रहा हूं।

मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इस संबंध में जनता के हित में समुचित कार्यवाही करे।

पूर्वाह्न 11.44 बजे

मंत्रिपरिषद् में विश्वास का प्रस्ताव

[हिन्दी]

प्रधानमंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा मंत्रिपरिषद् ने अपना विश्वास व्यक्त करती है।"

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि यह सभा मंत्रिपरिषद में अपना विश्वास व्यक्त करती है।"

इस प्रस्ताव के लिए सात घंटे का समय आवंटित किया गया है सभी राजनीतिक दलों को निर्धारित समय आबंटित किया गया है। कृपया आप इसकी जांच स्वयं कर लीजिए क्योंकि मैं इसे दोहराना नहीं चाहता हूं।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : इससे पहले कि मैं सदन से विश्वास की मांग करूं, मैं पंडित जवाहर लाल नेहरू के प्रति, जिनकी आज पुण्यतिथि है, अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूंगा।.. .**(व्यवधान)** जब मैं इस सदन में पहली बार आया तो नेहरू जी प्रधानमंत्री थे। कई वर्ष मैंने उन्हें काम करते हुए देखा। मैं उधर बैठता था।...**(व्यवधान)** अभी भी उधर की याद भूली नहीं है। लेकिन मैं काफी पीछे बैठता था क्योंकि संख्या बहुत कम थी। आज जो परिवर्तन हुआ है, भारतीय जनता पार्टी धीरे-धीरे अपनी संख्या बढ़ाती हुई, अपना प्रभाव बढ़ाती हुई पहले प्रमुख विरोधी दल बनी और आज सबसे बड़ी पार्टी के रूप में चुनाव के बाद उभरी। यह परिवर्तन अचानक नहीं हुआ है, यह परिवर्तन इतिहास की बदलती हुई प्रक्रिया को प्रतिबिम्बित करता है।

हाल में जो चुनाव हुए, उनमें जनता ने अपना अभिमत प्रकट किया। समय है कि उस जनादेश पर गहराई से विचार किया जाए, गंभीरता से विचार किया जाए। हम सबसे बड़े दल के रूप में उभरे हैं। अन्य दलों की जो स्थिति है, उसको भी ध्यान में रखने की जरूरत है।..**(व्यवधान)** जब लोक सभा का विसर्जन हुआ, कांग्रेस पार्टी के

260 सदस्य इस सदन में थे। आज उनकी संख्या घटकर 136 रह गई। यह जनादेश का परिणाम है। इस परिणाम को स्वीकार किया जाना चाहिए। आत्ममंथन होना चाहिए। करीब-करीब आधी संख्या रह गई है। वाम मोर्चा 57 से 52 पर आ गया है। पश्चिम बंगाल में लोक सभा में भी और विधान सभा में भी वोटों की दृष्टि से उनकी शक्ति घटी है बिहार में भी घटी है।..**(व्यवधान)** बिहार में जनता दल पहले 56 था इस सदन में और अभी 44 है।

बिहार में भारतीय जनता पार्टी समता पार्टी के साथ चुनाव लड़ी और लोक सभा के चुनाव में उसे भारी सफलता मिली। कांग्रेस की संख्या केवल यहीं कम नहीं हुई, अनेक विधान सभाओं में कांग्रेस ने जन विश्वास खो दिया है। वहां अन्य दलों की सरकारें बनी हैं। यह परिवर्तन क्यों हुआ? यह किस बात का संकेत है? ...**(व्यवधान)**

श्री शिवाजी काम्बले (उस्मानाबाद) : अध्यक्ष महोदय, इनको रोकिये। ऐसा चलेगा तो कोई नहीं बोल पाएगा।...**(व्यवधान)**

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : यह बात भी ध्यान देने की है कि आज मेरी सरकार के प्रति अविश्वास प्रकट करने के लिए जो दल एक हो रहे हैं, वह चुनाव में अलग-अलग लड़े थे। एक दूसरे के विरुद्ध लड़े थे।...**(व्यवधान)** एक दूसरे के खिलाफ गम्भीर आरोप लगाते हुए लड़े थे। चुनाव के पहले कोई गठबन्धन नहीं हुआ।... **(व्यवधान)**

श्री दत्ता मेघे (नागपुर) : पंजाब में क्या हुआ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : आज भी गठबंधन का कार्यक्रम नहीं है। सरकार पहले बनेगी और उसका कार्यक्रम बाद में बनेगा।. ..**(व्यवधान)**

श्री मृत्युजन्य नायक (फूलबनी) : आप अपनी सरकार बचाने के लिए दूसरों की मदद मांग रहे हैं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : गठबन्धन का आधार क्या है, इसकी भावात्मक भूमिका क्या है? कितने दिनों से विवाद चल रहा है, राष्ट्रपति महोदय ने मुझे क्यों बुलाया। कुल लोगों की नींद हराम हो गई।...**(व्यवधान)** कुछ लोगों ने राष्ट्रपति महोदय के विरुद्ध ऐसे शब्दों का भी प्रयोग किया, जो नहीं होने चाहिए थे। मगर चुनाव के बाद जो परिस्थिति बनी, उसमें राष्ट्रपति जी और क्या कर सकते थे। क्या वह कांग्रेस को बुलाते, जो चुनाव हार गई, जिसने जनादेश खो दिया, जिसके शासन को लोगों ने ठुकरा दिया? क्या वह एक भानुमति के कुनबे को बुलाते, जो तब तक कुनबा भी बना नहीं था।

राष्ट्रपति ने अगर सबसे बड़े दल के रूप में भारतीय जनता पार्टी को बुलाया तो एक संवैधानिक परम्परा के अनुसार आचरण किया, लोकतंत्र की मर्यादा के अनुसार व्यवहार किया।...**(व्यवधान)**

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री (झांसी) : अगर इस प्रकार से बोलेंगे तो किसी को भी बोलने नहीं दिया जायेगा। आपको जो बोलना हो, बाद में बोलिएगा।

श्री मोहन रावले (मुम्बई-दक्षिण मध्य) : इनको बोलने का मौका मिलने वाला है, फिर यह ऐसा क्यों कर रहे हैं?..**(व्यवधान)**

श्री मुख्तार अनीस (केसरगंज) : प्रधान मंत्री को उनकी पार्टी के लोग ही नहीं बोलने दे रहे हैं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मुझे 31 तारीख तक विश्वास मत प्राप्त करने का समय दिया है। आज 27 तारीख है। हम अगर चाहते तो 31 तारीख तक रुक सकते थे, 30 तारीख को यह प्रस्ताव ला सकते थे। हमें जो निर्देश दिया गया है, यह उसके अनुसार होता, लेकिन हम 27 तारीख को आपके सामने विश्वास मत लेकर खड़े हैं, क्योंकि लोकतंत्र में हमारी निष्ठा है और येन-केन-प्रकारेण बहुमत बनाना, यह हमारा ढंग नहीं है। इस सदन की दीवारें....**(व्यवधान)**

श्री शिवाजी काम्बले : सदन के नेता बोल रहे हैं और यह उनको हर बात में इण्टरप्ट कर रहे हैं।...**(व्यवधान)**

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : एकाध टोका-टाकी का मैं बुरा नहीं मानता, मगर रोका-राकी नहीं होनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, मैं आज प्रस्ताव लेकर आया हूं। अभी तीन दिन बाकी हैं, लेकिन पिछली लोक सभा इस बात की साक्षी है और सदन का रिकार्ड गवाह है कि किस तरह से रात ही रात में अल्पमत बहुमत में बदला था। जब मतदाता सो रहे थे, थककर चूर थे, तब लोकतंत्र की लाज लुट रही थी। तब ईमान का सौदा हो रहा था। तब पार्लियामेंट के मेम्बर्स की खरीद-फरोख्त का बाजार खुला हुआ था। मामला अदालत में है, मैं उस पर ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन हमने देखा कि अल्पमत किस तरह से बहुमत में बदला। वह रास्ता हमारे लिए भी खुला था। मगर हमने उस पर जाने से इंकार कर दिया। अनैतिक तरीके अपनाकर, भ्रष्टाचार का सहारा लेकर, ईमान का सौदा करके सरकार में आना या सरकार में बने रहना, ऐसा पाप हमारे हाथों से कभी नहीं होगा, यह हम आपको आश्वासन देना चाहते हैं।

लोकतंत्र एक नैतिक व्यवस्था है, उसके मूल में एक नैतिक अवधारणा है। पुरानी सरकार के सामने रास्ता खुला था कि वह ईमानदारी से गठबंधन करती। विरोधी दलों को तोड़ने की जरूरत नहीं थी। दल -बदल कानून की धज्जियां उड़ाने की जरूरत नहीं थी। ईमानदारी से बनते गठबंधन, ईमानदारी से जो कुछ होता खुले में होता, जो कुछ होता सबके सामने होता। पारदर्शी प्रमाणिकता से दल अगर साथ आते हैं तो कार्यक्रम के आधार पर आयें, हिस्सा बांट के आधार पर नहीं। बैंकों में लाखों रुपये जमा किये जायें, इसको लेकर नहीं। अगर देश सचमुच में एक मिलीजुली सरकार के दौर में पहुंच गया है तो लोगों का पुराना अनुभव 1977 का और 1989 का फिर से न दोहराया जाये, क्या इस बात की आवश्यकता नहीं है, यह संकल्प करने की आवश्यकता नहीं है?

कांग्रेस का तो यह इतिहास रहा है कि वह समर्थन देती है और फिर वापस लेती है। यह त्रावनकोर से चलने वाला सिलसिला है। अब

अगर कांग्रेस के चिंतन में परिवर्तन होता है, हम इसका स्वागत करेंगे। लेकिन अभी तक का इतिहास कुछ और कहानी कहता है। जो मिलीजुली सरकारें बनती हैं, वे भी ऐसे मुद्दों पर टूट जाती हैं जिन मुद्दों का राष्ट्र जीवन के साथ गहरा सम्बन्ध नहीं होता। अभी हमें मिलकर काम करने की कला को सीखने की जरूरत है। यह अलग-अलग दलों के साथ आने पर लागू हाने की ही बात नहीं है। यह दल के भीतर भी लागू होने की बात है। पता नहीं इस देश पर कैसा अभिशाप है। पता नहीं है हम किस रोग से पीड़ित हैं। जब कभी संकट की घड़ी आती है तो यह देश एक हो जाता है, लेकिन जैसे ही संकट की घड़ी टली, हम एक दूसरे को गिराने के, एक दूसरे का महत्व कम करने के लिए अनावश्यक अप्रासंगिक मामले खड़े करने में लग जाते हैं।

मध्याह्न 12.00 बजे

मैं इसका अपवाद नहीं हूं। मेरी पार्टी भी अपवाद नहीं है। यह काम कोई एक पार्टी नहीं कर सकती। हमने करने की कोशिश की लेकिन हम सफल नहीं हुए। यह तो सबको मिलकर फैसला करना पड़ेगा। मैं नहीं जानता कल के बाद कौन सा राजनैतिक नक्शा बनेगा। लेकिन एक बात साफ है कि चाहे एक दल की सरकार हो और चाहे बहुदलीय सरकार हो, उस सरकार को मर्यादा में रहना चाहिये। उस सरकार को जनता के हित के प्रति समर्पित होना चाहिये। उस सरकार का हर आचरण, हर नीति पारदर्शी प्रामाणिकता से प्रभावित होनी चाहिये। यह तो नहीं हुआ। पिछले पांच साल में नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ। क्या आगे ऐसा होगा, इसका विश्वास है?

अगर यूनाईटेड फ्रन्ट कोई कार्यक्रम लेकर आये और कार्यक्रम के साथ ही विश्वास दिलाये कि राजनैतिक महत्वाकांक्षा के कारण, सत्ता की कुर्सी के कारण पुराने कटु अनुभव दोहराने नहीं दिये जायेंगे तब तो जनता को थोड़ा आश्वासन मिल सकता है। अन्यथा लोग बड़े दुःखी है। अस्थिरता की आशंका है। देश के भविष्य के बारे में चिन्ता है। पंडित जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मैंने जो शब्द कहे थे, मैं उस समय राज्यसभा का सदस्य था। यह 29 मई का मेरा भाषण है। मैंने कहा था मैं उद्धरत कर रहा हूं कि

> "नेहरू जी स्वतंत्रता के सेनानी और संरक्षक थे, आज वह स्वतंत्रता संकटापन्न है। सम्पूर्ण शक्ति के साथ हमें उसकी रक्षा करनी होगी। जिस राष्ट्रीय एकता और अखंडता के वह नायक थे, आज वह ही विपदाग्रस्त है। हर मूल्य पर हमें उसे कायम रखना होगा। जिस भारतीय लोकतंत्र की उन्होंने स्थापना की, उसे सफल बनाया, आज उसके भविष्य के प्रति भी आशंकायें प्रकट की जा रही है। हमें अपनी एकता से अनुशासन से, अपने आत्म विश्वास से लोकतंत्र को सफल करके दिखाना है। नेता चला गया, अनुयायी रह गये। सूर्यास्त हो गया। तारों की छाया में हमें अपना मार्ग ढूंढना है। यह एक महान परीक्षा का काल है। यदि हम सब अपने को एक ऐसे महान उद्देश्य के लिए समर्पित कर सकें जिसके अन्तर्गत भारत सशक्त हो, समर्थ और समृद्ध हो और स्वाभिमान के साथ विश्व शांति की स्थापना में अपना योग दे सके तो हम उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि करने में सफल होंगे।"
> उद्धरण समाप्त

पचास साल में हमने प्रगति की है। इससे कोई इंकार नहीं कर सकता। चुनाव के दौरान वोट मांगते हुए सरकार की नीतियों पर कठोर से कठोर प्रहार करने और पुरानी सरकार की नीतियों की आलोचना करने के लिए मेरे पास बहुत सामग्री थी। लेकिन हर जगह मैंने यही कहा कि मैं उन लोगों में नहीं हूं जो पचास साल की उपलब्धियों पर पानी फेर दें। ऐसा करना देश के पुरुषार्थ पर पानी फेरना होगा। ऐसा करना देश के किसान के साथ अन्याय करना होगा। मजदूर के साथ ज्यादती करनी होगी, आम आदमी के साथ भी न्याय करना नहीं होगा। लेकिन जो सवाल आज मन में उठता है और उठना चाहये कि आजादी को पचास साल होने आये हैं, हम जयन्ती मनाने जा रहे हैं, आज देश की स्थिति क्या है? हम पिछड़ क्यों गये हैं? प्रगति की दौड़ में जो देश हमारे साथ आजाद हुए थे, वे हम से भी आगे बढ़ गये हैं। जो देश हमारे बाद जन्मे थे, वे हमें पीछे छोड़ गये हैं। दुनिया के गरीबतम देशों में हमारी गणना है। बीस फीसदी से ज्यादा लोग गरीबी की रेखा के नीचे हैं। राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण में गांव का उल्लेख है जहां पीने का पानी नहीं है। हम प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य नहीं कर सके। लड़कियों की शिक्षा की उपेक्षा हो रही है। लड़की का जन्म लेना तो इस देश में अभी तक एक अभिशाप है। क्या सरकारी कदम उठा कर, समाज में जागृति पैदा कर के, सब लोगों को जुटा कर यह काम नहीं किया जा सकता। यह तो ऐसा काम है जिसमे दलबन्दी के लिए कोई स्थान नहीं है क्या हम देश का नक्शा नहीं बदल सकते। देश में साधनों की कमी नहीं है और अगर साधनों की कमी है, तो उन्हें ठीक ढंग से प्राप्त किया जा सकता है। साधन बढ़ाए भी जा सकते हैं, लेकिन जो साधन हैं, उनका ठीक उपयोग नहीं हो रहा है। जनता के ऊपर टैक्स लगा कर जो धन इकट्ठा किया जाता है, उसका लाभ जनता तक नहीं पहुंचता है। आम आदमी तक नहीं पहुंचता है। कहां जाता है? किस की जेब भरी जाती है? किस की तिजोरियों में वह रकम जाती है? विदेशी बैंकों में धन जाने का सिलसिला अभी तक क्यों कायम है? उसको रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

हम विदेशी पूंजी के प्रयत्नशील हैं, विदेशी पूंजी आए। अगर विदेशी पूंजी आती है, अच्छे ढंग से टैक्नोलाजी के लिए, इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए, आयात-निर्यात को बढ़ाने के लिए, तो कोई आपत्ति नहीं करेंगे। लेकिन क्या देश के भीतरी साधनों का अधिकतम उपयोग हो रहा है? क्या यह सच नहीं है कि भ्रष्टाचार एक राष्ट्रीय रोग बन गया है। मुझे याद है, स्वर्गीय राजीव गांधी ने एक भाषण में कहा था कि मैं दिल्ली से एक रुपया भेजता हूं मगर जहां वह रुपया पहुंचता है, वहां पहुंचते-पहुंचते 19 पैसे रह जाते हैं। मैंने उनसे कहा, यह चमत्कार कैसे होता है? वे हंसकर कहने लगे, जब रुपया चलता है, तो घिसता है। हां रुपया घिसता है। हाथ में लगता है, जेब में जाता है, छोटा हो रहा है, रुपये को पहचानना मुश्किल है। रुपया

अन्तरध्यान हो सकता है। देश के सिक्के की स्थिति अच्छी नहीं है। एक तो सरकारी खर्चा बढ़ गया है, बढ़ता जा रहा है। उसको बिना कम किए काम नहीं चलेगा और कम करने के लिए आम सहमति चाहिए, सर्वदलीय सहयोग चाहिए। कोई एक दल यह काम नहीं कर सकता है। हां, हमारे पुराने प्रधान मंत्री, नरसिम्हाराव जी, अगर अपने को स्थिर करने के बाद इस दिशा में थोड़ा प्रयत्न करते, तो सफल होते। लेकिन वे कुछ ऐसे कामों में उलझे रहे कि वे समस्यायें ध्यान नहीं खींच सकीं।

हमारा विदेशी व्यापार घट गया है। शताबदी के प्रारम्भ में 10 फसीदी था फिर बाद में 2.5 परसेंट रह गया और अभी 0.5 परसेंट है। यह वस्तुस्थिति है, यह आलोचना के लिए नहीं है। दुनियावाले हमें अलग-अलग पार्टियों के रूप में नहीं देखते हैं। हमारे पड़ोसी हम में भेद नहीं करते है। हम कभी विफल होते हैं, दुनिया हंसती है। हमारे पड़ोसी हम पर छींटाकसी करते हैं। थोड़ा बहुत कम लड़ें, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। लड़ना चाहिए। "मुंडे-मुंडे मतिर भिन्नाः", अपनी बात हमें निर्भीकता से कहनी चाहिए। लेकिन कुछ जीवन मूल्य ऐसे हैं, जिनके साथ समझौता नहीं हो सकता है। उसमें हैं, राजनेताओं की ईमानदारी का सवाल। हमें बेदाग नेतृत्व चाहिए, हमें निष्कलंक नेतृत्व चाहिए। आपको मालूम है, यह भ्रष्टाचार फैलते-फैलते नीचे किस हद तक गया है। हमारे बिहार प्रदेश में जानवरों का चारा खा लिया गया...**(व्यवधान)** जांच हो रही है, मैं उसमें जाना नहीं चाहता हूं। भ्रष्टाचार की कोई सीमा नहीं है।

अभी मुझे एक मुख्यमंत्री ने कहा कि जब उन्हें स्टेट इलैक्ट्रीसिटी बोर्ड के अध्यक्ष पद की नियुक्ति करनी थी, तो उनके पास आफिसर आए, जो एक करोड़, दो करोड़ और पांच करोड़ रुपये देकर अध्यक्ष पद लेना चाहते थे।

मैंने उनसे यह नहीं पूछा कि उन्होंने किस को छांटा, किस की नियुक्ति की, मगर मैं उनके कथन पर विश्वास करता हूं। आज देश में बिजली की कमी है। हम विदेशी पूंजी को निमंत्रण दे रहे हैं, समझौते कर रहे हैं मगर घर के भीतर बिजली कितनी पैदा होनी चाहिए इसका प्रबन्ध नहीं कर पा रहे हैं।

मुझे बताया गया कि कोई मुख्य मंत्रियों की बैठक बुलाई गई थी मगर राय नहीं बनी और राय इसलिए नहीं बनी क्योंकि राजनीतिक प्रतिस्पर्धा इतनी तीव्र हो गई है कि देश का हित गौण हो गया है, देश का हित पीछे चला गया है। आठवीं योजना के अंतर्गत 33 हजार मेगावाट बिजली पैदा करने का लक्ष्य था। अभी तक मुझे जो आंकड़े मिले हैं उनके अनुसार हम 13 हजार मेगावाट तक बिजली जोड़ सके, अधिक क्षमता नहीं जोड़ सके। अभी उत्तर प्रदेश की शिकायत हो रही है, जब मैं बिहार में चुनाव के दौरे में गया था तो बिहार के लोगों ने, नीतिश जी ने बताया कि हफ्ते में 4 दिन बिजली नहीं है। मैं नहीं जानता...**(व्यवधान)** हमारे पूर्वज प्रार्थना करते थे-

"तमसो मा ज्योतिर्गमय" हम अंधेरे से प्रकाश की ओर जाएं और उनके योग्य उत्तराधिकारी हम लोगों को प्रकाश से अंधेरे की ओर ले जाने की तैयारी में हैं। क्यों ये चीजें हमारे मर्म को स्पर्श नहीं करतीं? क्या ये दलगत राजनीति की मांग करती हैं?

हमने तो 10 दिन में कोई ऐसा काम नहीं किया जिस पर अंगुली उठाई जा सके और अगर हमें 5 साल मिले तो ऐसा शासन देकर जाएंगे जिसमें एक भी दाग ढूढंना मुश्किल होगा। लेकिन शासन तंत्र जैसा हमें उत्तराधिकार में मिला है, इसमें व्यवस्था के सुधार का सवाल है। राष्ट्रपति के अभिभाषण मे कहा गया है कि हम चुनाव सुधार के काम को हाथ में लेंगे, यह मामला बरसों से लटक रहा है। चुनाव में खर्चा कहां से आएगा? चुनाव लड़ने के लिए अगर काला धन लिया जाएगा तो फिर चुनाव के बाद उस काले धन से मुक्ति नहीं है, इसे बदलने की जरूरत है। गोस्वामी कमेटी बनी। स्टेट फंडिंग का तय हो गया, सिफारिश सामने आ गई। लोकसभा के पिछले अधिवेशन में जब पुरानी सरकार थी तो गृह मंत्री श्री चव्हाण ने विरोधी दलों के नेताओं की बैठक में आकर कहा कि सरकार ने सिद्धान्ततः पब्लिक फंडिंग का प्रस्ताव मान लिया है, केबिनेट के पास गया है हम चुनाव के पहले लागू कर देंगे। उस प्रस्ताव का क्या हुआ? केबिनेट की मीटिंग हुई या नहीं हुई? बहुत बड़ी सिफारिश नहीं है, उससे सारे चुनाव प्रणाली के दोष दूर हो जाएंगे यह मैं दावा नहीं करता। उसके भी कई पहलू हैं। मगर एक कदम था उसको उठाना चाहिए था। कभी-कभी कुछ मित्रों से ऐसा लगता है कि जो वर्तमान भ्रष्ट प्रणाली है, मंहगी प्रणाली है उसमें स्वार्थ है कि इसे दो। यह तो नहीं होना चाहिए। काले धन से चुनाव नहीं लड़े जाने चाहिए इसका प्रबंध किया जाना चाहिए, कठोर कदम उठाना चाहिए हम इसमें साथ देने के लिए तैयार हैं। अगर हम स्वयं कदम उठाएं तो आपको साथ देने के लिए तैयार होना चाहिए बरसों से लोकपाल बिल धूल खा रहा है। क्या प्रधानमंत्री कानून के ऊपर हैं? अगर प्रधानमंत्री के ऊपर आरोप लगे, अगर प्रधानमंत्री से किसी को शिकायत हो तो वह कहां जाए, किस का दरवाजा खटखटाए? बरसों तक इसी बात पर चर्चा होती रही कि लोकपाल की परिधि में प्रधानमंत्री आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। यह ठीक है कि उस दिन नरसिंह राव जी ने कहा था कि मैंने क्लियरेंस दे दी है। प्रधानमंत्री का समावेश कर लें। लेकिन मैंने पूछा बिल कहां है, बिल नहीं आया। सदन स्थगित होने बाद और मामलों पर अध्यादेश जारी करने के लिए यह सरकार तैयार हो गई, ऐसे मामलों पर जिनका संबंध वोट बढ़ाने से था, वोट बैंक की राजनीति से था। लेकिन इस मामले में नहीं। इस मामले में भी अध्यादेश लाया जा सकता था। उस दिन मेरे मित्र इस बात की शिकायत कर रहे थे कि अदालतें बहुत ज्यादा हस्तक्षेप कर रही हैं। शायद कामरेड इन्द्रजीत गुप्ता थे, ज्युडिशियल एक्टीविज्म की बात उन्होंने कही। अगर प्रधानमंत्री अपना काम न करें और एग्जीक्युटिव फैसले न करे, मामले को लटकाए और जब प्रधानमंत्री से पूछा जाए कि आप निर्णय क्यों नहीं करते, तो उनका उत्तर यह हो कि निर्णय न करना भी एक निर्णय है। मैं समाचार-पत्रों में जो कुछ छपा है उसके आधार पर कह रहा हूं। अगर वह ठीक नहीं छपा है तो नरसिंह राव जी उसे ठीक कर देंगे। निर्णय न लेना भी निर्णय है। यह कर्मयोग की उच्चतम स्थिति है। देश

कैसे चलेगा? लेकिन निर्णय नहीं लिए गये। कभी-कभी तो सरकार इस बात की प्रतीक्षा में रही कि निर्णय टाल दो, नये विवाद खड़े होंगे, झंझट मोल लेना ठीक नहीं है? कोर्ट फैसला कर देगा। अब कोर्ट ऐसे मामलों में भी फैसला करने लगा है जो एग्जीक्युटिव के मामले हैं, जो संसद के द्वारा तय होने चाहिएं। संसद अपने दायित्व का पालन क्यों नहीं कर सकती। एग्जीक्युटिव अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं निभा सकती। लेकिन इसके लिए एग्जीक्युटिव या कार्यपालिका ईमानदार होनी चाहिए, चुस्त होनी चाहिए, मामले लटकाए नहीं जाने चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है, ऐसा होना चाहिए। हम करना चाहते हैं। जो भी आएगा उसे ऐसा करना पड़ेगा नहीं तो कोई 12 दिन रहेगा, कोई 6 महीने रहेगा। यह इस देश की जनता के साथ अन्याय होगा। लोगों ने अपना कर्तव्य किया है। अगर अब त्रिशुंक संसद है तो इसके लिए मतदाता दोषी नहीं हैं। शायद हम मतदाता के पास ठीक ढंग से अपनी बात नहीं कह सके। कभी-कभी तो मतदान की कमी देखकर यह चिंता होती थी कि क्या लोकतंत्र पर से लोगों का विश्वास उठ रहा है। कोई भी सरकार आए, क्या होगा? क्या ऐसा ही चलेगा। "कोई नृप होए, हमें का हानी," यह मंथरा ने कहा था। इस देश में अब सब जगह मंथरा की बात दोहराई जाएगी। जोड़-तोड़ करके सरकारें बनाई जाएंगी। सरकारें बनें तो कार्यक्रम के आधार पर बनें और देश को यह आश्वासन देने के बाद बनें कि अब लोगों के साथ अन्याय नहीं होगा। अब ऐसा नहीं होगा कि अन्याय के खिलाफ गुहार लगाने की जगह न मिले। लेकिन इसका तो कोई नक्शा दिखाई नहीं देता है। राष्ट्रपति महोदय ने हमें बुलाया क्योंकि हम सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरे हैं, अपनी विचारधारा के साथ उभरे हैं, अपने कार्यक्रम और नीतियों के साथ उभरे हैं। राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण में हमने कुछ अपनी नीतियों का विवेचन किया है। ममता जी को उसमें केवल एक बात पर आपत्ति है। मुझे लगता है कि बाकी का सारा अभिभाषण उन्हें स्वीकार है। और भी मित्रों से मैं पूछना चाहूंगा कि उस अभिभाषण में कौन सी बात एतराज के लायक है। क्या इस बात का ध्यान रखकर कि जो भी फैसले होने चाहिए वह आम सहमति से होने चाहिए, एक न्यूनतम कार्यक्रम पर देश को लाया जाए और फिर बाकी के मामले छोड़कर हम उसके लिए जुट जाएं - क्या इसकी आवश्यकता नहीं है। लेकिन कुछ मामले ऐसे हैं जिन पर विचार करने की जरूरत है।

हमारे खिलाफ सबसे बड़ा आरोप क्या है - हम साम्प्रदायिक हैं। हम सैकुलरवादी नहीं हैं। इसलिये कथित सैकुलरवाद के जितने भी रक्षक हैं आए इकट्ठे हो जाएं, लाठी-डंडे सम्भाल लें, भाजपा को सत्ता से हटाना है।

लोकतंत्र संख्या का खेल है और संख्या हमारे पक्ष में नहीं है। हम जन समर्थन प्राप्त करने में सफल हुए हैं। सबसे ज्यादा जन समर्थन हमें मिला है।

[अनुवाद]

श्री सुरेश कलमाडी (पुणे) : केवल 20 प्रतिशत....**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : कालमाड़ी साहेब, काय म्हणतात मल ऐक नाही येत। कलमाड़ी साहब क्या कहते हैं, यह दूसरों को समझना मुश्किल है।

अध्यक्ष महोदय, इस पहलू पर भी विचार होना चाहिये। कभी हम इस सदन में दो रह गये थे। पहली बार चुने गये थे तब चार थे।

एक माननीय सदस्य : वह दिन भी एक दिन आयेगा।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : आयेगा तो हम उसका सामना करेंगे। आज हम इतनी बड़ी संख्या में बैठे हैं कि आपके साथ कोई तुलना नहीं हो सकती है। हम विजयी हुए हैं, हम में विनम्रता है। पराजय में तो आत्ममंथन होना चाहिये।

श्री मृत्युंजय नायक : आप यू.पी. में आये थे तो बाद में क्या हुआ था?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : आप सारे देश में आए थे। अब क्या हो रहा है? इस स्थिति से आप संतुष्ट हैं तो मुझे कुछ नहीं कहना है मैं इस विवाद में नहीं पड़ना चाहता।

इस देश में इस समय लोगों के विचारों में मंथन चल रहा है, चिंतन की दिशायें बदल रही हैं। लोग पुरानी मान्यताओं को फिर से कसौटी पर कस रहे हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि जब संविधान के निर्माताओं ने शादी-ब्याह के एक कानून बनाने की सिफारिश की और यह कहा कि राज्य उसकी तरफ ध्यान देगा तो क्या वे साम्प्रदायिक कारणों से प्रेरित थे? क्या यह साम्प्रदायिक मुद्दा है? क्रिमिनल तो एक है तो सिविल लॉ एक क्यों नहीं हो सकता? गोआ में अभी भी सिविल लॉ एक है। अगर मुस्लिम मित्रों को उसमें कोई कठिनाई है तो वह अपनी कठिनाई आकर बता सकते हैं। यह कह सकते हैं कि हमें थोड़ा समय अपने समाज को तैयार करने के लिये चाहिये। लेकिन यह नहीं कहा जा रहा है। और दल भी इस बात के लिये उन्हें प्रेरित नहीं कर रहे हैं कि व्यक्तिगत कानून में संशोधन करे, वक्त बदल रहा है। इस्लामिक देशों में पर्सनल लॉ में संशोधन हो रहे हैं। यहां परिवर्तन होना चाहिये। यह जैंडर इक्वैलिटी का मामला है, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, मान लीजिये हमारी बात नहीं मानी जाती है। यह तर्क नहीं माना जाता कि समान सिविल कानून बनाना संविधान की मंशा है और अब तो सर्वोच्च न्यायालय ने भी पुष्टि की है। तो क्या ऐसा कहने के लिये आयेगा, हमें सम्प्रदायवादी कहा जायेगा। इस सवाल का साम्प्रदायिकता के साथ क्या सम्बन्ध है?

मुझे बहुत दःख हुआ प्रधान मंत्री के रूप में नरसिंह राव जी उत्तर प्रदेश में भाषण करने के लिये कहीं गये थे और वह मुस्लिम समाज के सम्मुख भाषण कर रहे थे, जैसा कि अखबारों में छपा, उसके आधार पर मैं कह रहा हूं। उन्होंने कहा कि मेरी क्या औकात है जो मैं इस तरह का कानून बनाऊं, आपकी राय के खिलाफ कानून बनाऊं? भारत का प्रधान मंत्री इस भाषा में बोले, मुझे पसन्द नहीं है। अगर

प्रधान मंत्री की औकात नहीं है तो इस देश में किस की औकात है? वह सबसे बड़े जन प्रतिनिधि हैं।

[अनुवाद]

श्री पी.वी. नरसिंह राव (बरहामपुर) : महोदय, मैं नहीं जानता कि प्रधान मंत्री जी मेरी बात को गलत तरीके से उद्धृत क्यों कर रहे हैं। मैंने यहां सभा में यह कहा था, श्रीमती इन्दिरा गांधी के दिनों से ही भारत सरकार की यह स्पष्ट घोषणा थी, कि जनता के एक वर्ग, जनता के किसी वर्ग का व्यक्तिगत कानून उनसे परामर्श लिए बिना, उनकी सहमति लिए बिना तथा उनकी सहमति के विरुद्ध नहीं बदला जाएगा मैंने बैठक में बिल्कुल यही कहा था।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, जिस समुदाय में, जिस बिरादरी में परिवर्तन लाना है, उसको तैयार किया जाना चाहिये इसमें कोई आपत्ति की बात नहीं है। यह लोकतंत्र के लिये आवश्यक है, स्वाभाविक है मगर किसी के हाथ में वीटो नहीं दिया जाना चाहिये। हिन्दू समाज गतिशील है, हिन्दू समाज में परिवतन हुये है, परिवर्तन की प्रक्रिया चल रही है। स्मृतियां बदली हैं। और आज जिस स्मृति के आधार पर हम काम कर रहे हैं और वह हमारा संविधान और इसके निर्माता हैं डा. अम्बेडकर। हमारा जड़ समाज नहीं है।

डा. शफीकुर्रहमान बर्क (मुरादाबाद) : मुस्लिम पर्सनल ला के निर्माता नहीं हैं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, मैं एक और उदाहरण देना चाहता हूं। मैं इस विषय को लेकर ज्यादा विस्तार से नहीं बोलना चाहता। हमारे पड़ौसी देश से...

श्री कमरूल इस्लाम (गुलबर्गा) : मैं चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी इस विषय पर ज्यादा नहीं बोले। इस्लामिक ला डिवाईन ला है। पर्सनल ला को इस सदन में जबरदस्ती नहीं लाया जा सकता है। इस पर किसी जाति का इतना दबाव नहीं डाला जा सकता है। वही कांस्टीट्यूशन हमें परमिशन देता है।

[अनुवाद]

श्री कमरूल इस्लाम : यह अल्लाह का कानून है और इसे बदला नहीं जा सकता। इस्लाम का कानून अल्लाह का कानून है और इसे बदला नहीं जा सकता है।

श्री आई.डी. स्वामी (करनाल) : आपको संविधान को स्वीकार करना होगा...

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, मैं एक और उदाहरण देने जा रहा था। पूर्व में हमारे एक पड़ौसी देश से बड़ी संख्या में गैर-कानूनी तौर पर लोग आ रहे हैं। सीमा पर उचित प्रबंध नहीं है। पूछताछ का भी तरीका नहीं है। अगर कोई रोज़गार के लिये आये और रोज़गार कमाने के बाद वापस चला जाये, वह एक स्थिति अलग है। ऐसे लोगों के लिये वर्क परमिट का भी इन्तज़ाम किया जा सकता है लेकिन चोरी-छिपे आएं, अंधेरे में आएं, नदियों के रास्ते आएं, झाड़ में झुरमुट में छिपकर आयें और लाखों की संख्या में आएं, तो गंभीर परिस्थिति पैदा होती है। यह गृह मंत्रालय की रिपोर्ट है। यह हमारे गृह मंत्रालय की नहीं है। लोग आ रहे हैं। यह पुरानी रिपोर्ट है। अब इस बात के लिये आवाज उठाना कि उनका आना रोका जाना चाहिये, वह सीमरवर्ती क्षेत्रों में जनसंख्या का स्वरूप बदल रहा है, असंतोष पैदा हो रहा है, तनाव बढ़ रहे हैं। दिल्ली में जो पुराने रिक्शवाले थे, वे शिकायत कर हैं कि ऐसे लोगों के बाने से उन्हें किराया कम मिलने लगा है क्योंकि आने वाले सस्ती मजूरी पर काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, इसके परिणाम होते हैं। अब यह कहा जाता है कि अल्पसंख्यकों के वोट का सवाल है, इस पर मत बोलो, चुप रहो। और पार्टियां इस बारे में क्यों नहीं बोलती हैं, मेरी समझ में नहीं आता। कोई देश इस तह से बड़े पैमाने पर इल्लीगल इम्मिग्रेशन को बर्दाश्त नहीं कर सकता है। यह ठीक है कि पूरी तरह से रोकना मुश्किल होता है लेकिन यह समस्या है और इसकी रोकथाम होनी चाहिये। अगर हम इस मामले में आवाज उठाते हैं तो देश हित में उठाते हैं, वोट के लिये नहीं उठाते हैं। यह बात लोगों के गले के नीचे उतरनी चाहिये।

[अनुवाद]

श्री ई. अहमद (मंजेरी) : आप प्रत्येक चीज़ में दूसरे के स्थान पर स्वयं मार खाने वाले की तरह मुस्लिम समाज का नाम क्यों लेते हैं। आप हमेशा अल्पसंख्यकों का हवाला देते हैं। यदि कोई बात है तो उसे सभी पर लागू होना चाहिए।...**(व्यवधान)**

श्री कमरूल इस्लाम : उसके लिए कुछ उपाय करने होंगे... **(व्यवधान)**

श्री संतोष मोहन देव (सिल्चर) : माननीय प्रधानमंत्रीजी, आपने बहुत अच्छा आरम्भ किया है। मैं उम्मीद करूंगा कि आप यही रास्ता अपनायेंगे और आप अपना भाषण विश्वास प्रस्ताव पर ही सीमित रखेंगे...**(व्यवधान)** आपने राष्ट्रपति के अभिभाषण में भी कोई ऐसा विवादस्वरूप मुद्दा नहीं उठाया है। आप यहां भी ऐसा कोई मुद्दा नहीं उठायेंगे। यही अच्छा होगा। यह मेरी आपसे केवल अपील है... **(व्यवधान)** अन्यथा हमें प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिये वक्ताओं को बदलना होगा...**(व्यवधान)** हमें अनुरूपता लानी होगी...**(व्यवधान)** इसलिए यह बेहतर होगा यदि आप इससे दूर रहें।

श्री सत्यदेव सिंह (बलरामपुर) : आप सच्चाई को सुनिए।

कुमारी ममता बनर्जी (कलकत्ता दक्षिण) : सच्चाई क्या है? **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

यह तरीका ठीक नहीं है...**(व्यवधान)**

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, मैं श्री संतोष मोहन देव की सलाह को हमेशा ही वजन देता रहा हूं। जब करीमगंज में बंग्लादेश से आने वालों के सवाल को लेकर एक बड़ा भारी प्रदर्शन हुंआ था, उनको इसकी रिपोर्ट मिली होगी। वह हमारी पार्टी की शक्ति का प्रदर्शन नहीं था। वही लोगों में व्याप्त आशंका का प्रकटीकरण था लाखों की संख्या में लोग आ गए क्योंकि उनके मन में यह भाव है कि विदेशियों का आना रुकना चाहिए। इतनी संख्या में आना उनके भविष्य को खतरे में डालेगा। और उस दिन मैंने अपने भाषण में कहा था और मैंने इनको बताया और इन्होंने मुझे कहा कि आपने ठीक कहा। मैंने कहा कि यह हिन्दू-मुसलमान का सवाल नहीं है। ...**(व्यवधान)** लेकिन इस प्रश्न की गंभीरता बढ़ जाती है, आयाम बढ़ जाता है जब यह बात ध्यान में रखी जाती है कि संख्या में वृद्धि के साथ और भी दुष्परिणाम होने लगते हैं। देश के विभाजन का दुर्भाग्यपूर्ण इतिहास हमारे सामने है। इसे रोका जाना चाहिए। इस प्रश्न पर एक राय होनी चाहिए। एक राय करने की जिम्मेदारी ले सकते हैं हम, अगर सहयोग मिले।

अब मैं एक और प्रश्न उठाना चाहता हूं।

श्री जी.एम. बनातवाला (पोन्नानी) : माइग्रैण्ट्स के नाम पर मासूम बेगुनाह शहरियों पर जुल्म ढहाया जाता है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : यह गलत है।

श्री जी.एम. बनातवाला : आपने अपने साथ एक ऐसी पार्टी भी रखी है जिसके प्रेज़ीडेण्ट ने यह कहा है ओर अपने कैडर के मुसलमानों पर छोड़ दिया कि ढूंढ-ढूंढकर उनको निकालो और उन बेगुनाहों पर जुल्मोसितम ढहाओ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : किसने छोड़ दिया? यह गलत है। ...**(व्यवधान)**

श्री जी.एम. बनातवाला : सारी बातें आप अच्छी तरह से करते हैं लेकिन जो हकीकत है, उससे मुंह मोड़ लिया जा रहा है। ...**(व्यवधान)**

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, जो विदेशी हैं, जो बिना अनुमति के आते हैं, कानून का उल्लंघन करके आते हैं, कार्रवाही सिर्फ उन्हीं के खिलाफ होनी चाहिए। भारत के नागरिक चाहे वे किसी भी धर्म के हों, संप्रदाय के हों, जो यहां के नागरिक हैं और विशेषकर बंगाली जो पहले से बसे हुए हैं और बंगाली मुसलमानों को भी - बंगाली मुसलमान हमारे देश में बड़ी संख्या में हैं - उनको निकालने का सवाल नहीं है, उनको निकालने के पक्ष में हम नहीं हैं। ... **(व्यवधान)**

श्री जी.एम. बनातवाला : बंगाली बंगाली बोलने से डर गया है। बंबई में यह हाल हुआ है कि बंगाली अपनी बंगाली जुबान नहीं बोल सकता है। ... **(व्यवधान)**

श्री मोहन रावले (मुम्बई-दक्षिण) : मुम्बई के मुसलमानों ने शिव सेना का समर्थन किया है। ... **(व्यवधान)**

श्री बी.एल. शर्मा प्रेम (पूर्वी दिल्ली) : दिल्ली का एक भी उदाहरण आप बताओ। ...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री प्रिय रंजन दासमुंशी (हावड़ा) : महोदय, मैं प्रधानमंत्री से अपील करता हूं कि वे कृपया चर्चाधीन प्रस्ताव पर आएं।... **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : प्रधानमंत्री जी ने श्री पटनायक की बात मान ली।

[हिन्दी]

श्री मधुकर सर्पोतदार : अध्यक्ष महोदय, क्या एक पक्ष के बारे में यहां कोई गलत बात की जायेगी। उनको अगर ऐसी ही बात करनी है तो नाम लेकर बोलें। हकीकत कुछ और है। उनका मुकाबला करने की लिए हम तैयार हैं। लेकिन ऐसे ढंग से उन्होंने बात इस सदन में कही है वह इस सदन की अवमानना है, यह मैं उनको बताना चाहता हूं। ...**(व्यवधान)**

श्री मोहन रावले : ये बात कार्रवाई से निकालनी चाहिए।

[अनुवाद]

श्री बीजू पटनायक (आस्का) : माननीय प्रधानी मंत्री जी, अपने विश्वास मत पर अपने वक्तव्य का आरंभ बहुत अच्छा किया है हममें से अनेक सदस्यों ने सोचा कि हम आपके पास जाएं और आपके मुद्दों से सहमति प्रकट करें लेकिन इस बीच अपने उन मुद्दों को छेड़ दिया जिनके कारण हम आपके मुद्दों से सहमत नहीं हो पाए। क्या आप समझते हैं कि आपने क्या किया है और क्यों किया है। जब आप पंथ निरपेक्षता और गैर पंथ निरपेक्षता की बात करते हैं तो उस समय आप गैर पंथ निरपेक्षता का ही प्रचार कर रहे होते हैं और क्यों? आपका इरादा ऐसा नहीं था। आपने ऐसा क्यों किया?

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री लाल मुनि चौबे (बक्सर) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : अध्यक्ष जी, मुंबई शहर का मैं प्रतिनिधित्व करता हूं। सारे मुंबई शहर में और सारे महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा वोट पाकर आया हूं और मैं आपको बताना चाहता हूं कि मुंबई शहर जैसा स्वस्थ दंगामुक्त शहर हिंदुस्तान में कोई दूसरा नहीं है। हमने बंगालियों को नहीं दबाया है। बंगाल से जो विदेशी आये हैं उनको हमने निकाला है और उनको निकालना हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य है। **(व्यवधान)**

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, मैं नहीं चाहता था कि इस तरह का विवाद पैदा हो। लेकिन मैं उदाहरण दे रहा था कि अगर हम नॉतो-सेक्युलर हैं क्यों। किसलिए हमें नॉन-सेक्युलर कहा जाता है समान सिविल कानून तथा बंगला देशियों की घुसपैंठ यही कुछ मुद्दे हैं जो हम उठाते हैं और देश के हित में उठाते हैं। उनसे किसी का मतभेद हो सकता है। आज सांप्रदायिकता के साथ देश के भीतर जातीयता का जहर जिस तरह से फैलाया जा रहा है क्या सांप्रदायिकता से कम घातक है? लेकिन उसकी बात नहीं हो रही है क्योकि उसकी बात करने से गठबंधन में कठिनाई पैदा होती है। उसकी बात करने से सत्ता की प्राप्ति में बाधा उत्पन्न होती है।...**(व्यवधान)** अध्यक्ष महोदय, इस सदन के वरिष्ठ नेता और मेरे पुराने सहायोगी श्री बीजू पटनायक ने एक बड़ा महत्त्वपूर्ण प्रश्न खड़ा किया है। मैं चाहता हूं कि सेक्युलरिज्म के बारे में जरा खुला दिमाग रखकर और गंभीरता से विचार हो। मुझे याद है ...**(व्यवधान)** भारतीय जनता पार्टी एक से ज्यादा मौके पर यह स्पष्ट कर चुकी है कि हम संविधान से, संविधान की सेक्युलर संबंधी अवधारणा से, सेक्युलरवाद से हृदय से बंधे हुए हैं।...**(व्यवधान)** राज्य सेक्युलर होना चाहिए। भारत में राज्य हमेशा सेक्युलर रहा है। भविष्य में भी सेक्युलर ढांचे को कोई खतरा पैदा नहीं होगा।

यह बात इन्हें समझनी चाहिये ...**(व्यवधान)**

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : आपकी पार्टी में कितने मुसलमान एम.पी. जीतकर आये हैं ...**(व्यवधान)**

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : यह इसकी कोई कसौटी नहीं है। इस तरह के सवाल मत पूछिए। ...**(व्यवधान)**

श्री नवल किशोर राय (सीतमढ़ी) : भारतीय जनता पार्टी ने संविधान बचाने का एकता परिषद में जो वायदा किया था और कहा था कि संविधान की रक्षा करेंगे, उसका क्या हुआ? ...**(व्यवधान)**

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : उसके बारे में, मैं इस स्थिति में नहीं बोल सकता ...**(व्यवधान)**

श्री लाल मुनि चौबे ; सीतामढ़ी से आने वाले सांसद बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि यहां दंगे कराने वाले लोग कौन थे, सबसे बड़े दंगाई वे खुद हैं और वे ही यहां खड़े होकर बोल रहे हैं। जितने दंगाई यहां जीतकर आए हैं, वे सैक्यूलरिज्म को बर्बाद होने देना नहीं चाहते, ये खुद दंगे कराते हैं, मेरे पास लिस्ट और सीतामढ़ी के दंगों की सारी जिम्मेदारी वहां के सांसद पर है ...**(व्यवधान)**

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, भारत का जन्म कोई पिछले 50 साल में नहीं हुआ है। भारत एक प्राचीन राष्ट्र है। 1947 में भी किसी नये राष्ट्र का जन्म नहीं हुआ है। पांच हजार वर्ष पुरानी सभ्यता और संस्कृति का यह राष्ट्र है। इसलिये जब संविधान परिषद् बैठी थी और सैक्यूलरवाद या सैक्यूलरवाद की भावना के प्रश्न पर चर्चा हो रही थी, उस समय भी सैक्युलर का अर्थ क्या है, इसके बारे में अलग-अलग राय थी, लेकिन संविधान के निर्माताओं ने सैक्युलर शब्द संविधान में नहीं रखा। संविधान की प्रस्तावना में सैक्यूलर शब्द उस समय आया जब देश में एमरजैंसी लगी थी और हम लोग जेलों में बंद थे। विचार व्यक्त करने की आजादी नहीं थी। उस समय संविधान में संशोधन किया गया। उससे पहले धारणा यह थी की प्रस्तावना में संशोधन नहीं होना चाहिये, होगा भी नहीं, मगर प्रस्तावना में संशोधन कर दिया गया और भारत को डैमोक्रेटिक रिपब्लिक के साथ-साथ सैक्यूलर एण्ड सोशलिस्ट रिपब्लिक भी घोषित कर दिया। उस पर जो बहस हुई थी, वह मैंने ध्यान से पढ़ी है।

कांग्रेस के हर वक्ता ने, विशेषकर सरदार स्वर्ण सिंह ने इस बात पर जोर दिया था कि हमारा सैक्यूलरिज्म पश्चिम के सैक्युलरिज्म से भिन्न होगा। उन्होंने कहा कि यह बहुधर्मों का देश है ओर सैक्यूलरिज्म का अर्थ है कि किसी भी धर्म के मानने वाले के साथ भेदभाव न हो और सब धर्मों को समान दृष्टि से देखा जाए। हम इस व्याख्या को स्वीकार करते हैं और हृदय से स्वीकार करते हैं। यह हिन्दू चिन्तन का निचोड़ है। यह हमारी अस्मिता है। भारत में अनेक मत हैं अनेक मतान्तर हैं - केवल एक पुस्तक नहीं है, एक पैगम्बर नहीं है। यहां ईश्वर को माने वाले भी हैं और ईश्वर की सत्ता को नकारने वाले भी है। यहां किसी को सूली पर नहीं चढ़ाया गया और न किसी को पत्थर मारकर दुनिया से उठाया गया। यह सहिष्णुता इस देश की मिट्टी में है-एकसद विप्राः बहुधा वदन्ति। अब तो दर्शन उससे भी आगे चला गया है।

यह अनेकांतवादी देश है ...**(व्यवधान)**

श्री बीजू पटनायक ने मुझे यह विवादग्रस्त मामले उठाने से रोका है लेकिन उनके साथी मुझे उत्तेजित कर रहे हैं...**(व्यवधान)** यही तो मुश्किल है। अयोध्या की घटना तो बाद में हुई है लेकिन हमें तो पहले से ही सम्प्रदायवादी कहा जा रहा है, पहले से ही सैक्यूलर विरोधी कहा जा रहा है क्योंकि आपका प्रचार राजनैतिक है। वह तथ्यों पर आधारित नहीं है। ...**(व्यवधान)**

श्री बीजू पटनायक : अप्प यह बात बंद करो, आगे बोलो।

श्री मुनव्वर हसन (कैराना) : अगर आप साम्प्रदायिक नहीं हैं तो आपने कितने मुसलमानों को एम.पी. बनाया? ...**(व्यवधान)**

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, यह प्राचीन देश है। इसकी एक जीवनधारा है। वह एक सम्प्रदाय से जुड़ी हुई नहीं है। वह जीवनधारा सहस्त्रों साल से चली आई है। उसके निर्माण में सबने योगदान दिया है। ...**(व्यवधान)**

श्री हरभजन लाखा (फिल्लौर) : साम्प्रदायिकता के बारे में पी. एम. साहब जो बोल रहे हैं वह सब कुछ मनुस्मृति पर आधारित है और मनुस्मृति के सिद्धान्तों को ये साम्प्रदायिकता वाले लोग लागू करते हैं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : देश असाम्प्रदायिक रहे, भारत मजहबी राज्य न बने ...**(व्यवधान)**

श्री हरभजन लाखा : देश के आदिवासियों को मनुस्मृति के सिद्धान्तों द्वारा गुलाम बना रखा है। बाबा भीमराव अम्बेडकर ने

मनुस्मृति को जलाकर देश का नया संविधान बनाया था, परन्तु आप लोग तो कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, मैं मानता हूं कि कुछ मुद्द ऐसे हैं जो विवादग्रस्त हैं जो चर्चा को उत्तेजना देते हैं मगर चर्चा एक व्यवस्था से होनी चाहिए, चर्चा एक तरीके से होनी चाहिए। मुझे बार-बार टोका जाएगा तो मैं अपनी बात पूरी नहीं कर सकता, क्योंकि आप संख्या में ज्यादा हैं इसलिए यह फैसला करके आये हैं कि मुझे भी बोलने नहीं देंगे। ... **(व्यवधान)**

श्री लाल मुनि चौबे : अगर इसी तरह से चलता रहा, अगर यही परम्परा चलती रही तो आपको भी नहीं बोलने दिया जाएगा। ... **(व्यवधान)**

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, समय आ गया है जब हम पुरानी मान्यताओं को बदलती हुई मानसिकता के परिवेश में देखें। साम्प्रदायिकता एक तरह की नहीं होती और अगर एक तरह की साम्प्रदायिकता को उत्तेजन दिया जाएगा तो दूसरी तरह की साम्प्रदायिकता पनपेगी, इस तथ्य को अभी तक समझा नहीं गया है।

इस देश में कभी मजहबी राज्य की मांग नहीं उठी। इस देश में कभी मजहब के आधार पर, मत भिन्नता के आधार पर उत्पीड़न की बात नहीं उठी, न उठेगी, न उठनी चाहिए। और अगर उठेगी तो हम उसका विरोध करेंगे, आपको आश्वासन देना चाहते हैं। भारत सैक्युलर रहना चाहिए। हम अपने पड़ौसी देशों की तरह से मजहबी राज्य नहीं बनेंगे। लेकिन क्या इसका अर्थ यह है कि हमारी कोई जड़ें नहीं हैं? क्या इसका अर्थ यह है कि हमारे कोई जीवन मूल्य नहीं है? यह पांच हजार साल की सभ्यता और संस्कृति जो हमें विरासत में मिली है और जिस पर हमें गर्व है, अभिमान है, वह सभ्यता और संस्कृति किसी तरह से हमारे जीवन को बनाती रही है। क्या उसको विस्मृत करें।

मुझे याद है देश के दुर्भाग्य पूर्ण विभाजन के बाद पंडित जवाहर लाल नेहरू अलीगढ़ विश्वविद्यालय में भाषण करने के लिए गए थे। वहां दीक्षान्त समारोह था। उनके भाषण का एक अंश मैं आपके सामने उद्धृत करना चाहता हू :-

[अनुवाद]

> "मैंने कहा है कि हमें अपनी विरासत तथा अने पूर्वजों पर गर्व है जिन्होंने भारत को बौद्धिक और सांस्कृतिक ख्याति प्रदान की। इस अतीत के विषय में आपके क्या विचार हैं। क्या आप महसूस करते हैं हम इसमें भागीदार हैं और इसके उत्तराधिकारी हैं, इसलिए उस किसी भी चीज पर गर्व करते हैं जो जितनी मेरी है उतनी ही आपकी भी है अथवा आप उससे अपने आपको अलग समझते हैं? इस विशाल खजाने के न्यासी एव उत्तराधिकारी होने की अनुमति से हमें जो अनुपम उल्लास की प्राप्ति होती है क्या वह बिना अवबोधन के है? आप मुस्लिम हैं और मैं हिन्दू हूं। हम भिन्न-भिन्न धार्मिक आस्थाओं में विश्वास रख सकते हैं और नहीं भी रख सकते हैं किन्तु इससे वह विरासत नहीं चली जाती, यह आपकी भी है और मेरी भी है। अतीत हमें एक साथ जोड़ता है जबकि हमारा वर्तमान अथवा भविष्य हमें एक दूसरे से अलग करता है।"

[हिन्दी]

ये नेहरू जी के विचार हैं अपने अंतिम दस्तावेज में नेहरू जी ने जो कुछ लिखा है और जो आज पाठ्यपुस्तकों का विषय बन गया है, अध्ययन का विषय बन गया है, उसको फिर से पढ़ने की जरूरत है। नेहरू जी पर कोई पुरातनपन्थी होने का आरोप नहीं लगा सकता, लेकिन नेहरू जी ने उस विरासत की बात की है जो शताब्दियों से हमें मिली है और इस बात की भी तारीफ की है और हम अपने दिमाग खुले रखते हैं, हम खिड़कियां खुली रखते हैं, मगर यह भी कहा है कि हम अपने पांव पर मजबूती से खड़े रहते है मैं पूछता हूं कि नेहरूजी ने जिस कल्चरल इनहेरीटेस, की बात की थी क्या आज उसकी स्वीकृति है? क्या जो हमारा अतीत है उसमें सबको अभिमान है?

बहुत से विदेशी यहां आए। लोगों को शरण मिली। हमने निरीह आने वालों को, उजड़ कर आने वालों को वास नहीं किया । भारत माता की गोद में सबको जगह मिली। जो अपना देश छोड़कर, उत्पीड़न का शिकार हो यहां आए, उन्हें जगह मिली। भारत में पहली मस्जिद हिन्दू राजा की अनुमति से केरल में बनी। भारत में पहला चर्च भी केरल में बना, वह भी अनुमति से। यह हमारे रक्त का रंग है। यह जीवन की छुट्टी में हैं। मज़हब के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। सबको अपनी आस्था के अनुसार चलने की छूट होनी चाहिए। सबके साथ बराबर व्यवहार होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। बराबर व्यवहार नहीं हो रहा है। इसलिए कठिनाई पैदा हो रही है। इसलिए लोगों के मन में शंकाएं उठ रही हैं। उन शंकाओं का हमारे मित्र निराकरण नहीं करेंगे क्योंकि ये तो वोट की राजनीति में पड़े हैं। लेकिन मैं आज कहना चाहता हूं कि आवश्यकता इस बात की है कि उन प्रश्नों पर भी एक राय बनाई जाए । जब शाहबानो का मामला उठा और सुप्रीम कोर्ट में गया और फैसला हुआ, तो उस पर एक राय बन सकती थी, कदम उठाए जा सकते थे, नहीं उठाये गये।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रधानमंत्री जी, क्या आप दोपहर के भोजन से पहले अपना वक्तव्य समाप्त करेंगे अर्थात अब से पांच मिनट के अन्दर अथवा आप मध्याह भोजन के पश्चात् भी अपना वक्तव्य जारी रखना चाहेंगे?

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, [illegible] मिनट तो पर्याप्त नहीं होंगे।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : हम मध्याह्न भोजन के लिए उठ सकते हैं। आप मध्याह्न भोजन के पश्चात् अपना वक्तव्य जारी रख सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, इस सारे सवाल पर गंभीर बहस नहीं हुई, होनी चाहिए। एक कटु सत्य हम समझ लें। इस देश में हिन्दू बहुसंख्या में हैं मगर उनमें एक माईनीरिटी काम्प्लैक्स जैसा विकसित हो रहा है। माईनौरिटी में अगर काम्प्लैक्स हो तो मैं समझ सकता हूं। जो संख्या मे कम हैं, वे संरक्षण की बात करें उन्हें संरक्षण मिलना चाहिये। यह राज धर्म है और इसलिए जहां हम राष्ट्र की सुरक्षा पर बल देते हैं वहां इस बात पर भी बल देते हैं कि देश के भीतर हर अल्पसंख्यक की जान, माल, इज्जत और धर्म की हिफाजत होनी चाहिये। लेकिन इसके साथ यह भी कहने की जरूरत है कि भारत के हर नागरिक की जान, माल और इज्जत की रक्षा होनी चाहिये।

मैं उल्लेख कर रहा था, विदेशों से जो उत्पीड़ित होकर भारत अयो, लेकिन आज जो कश्मीर की घाटी से उत्पीड़ित देश के और भागों में आये हैं, उनकी वेदना कैसे भूली जा सकती है। बड़ी संख्या में हिन्दू और मुसलमान आतंकवाद से पीड़ित हैं। मगर उनको बसाने का, उनके घाव पर मरहम रखने का, काम क्यों नहीं हुआ। क्या कोई पार्टी उनके लिए नहीं बोलेगी। बोलेंगे तो हम बोलेंगे ओर इसलिए हम संप्रदायवादी करार दिये जायेंगे। वे भी भारत के नागरिक हैं। उनका हिन्दू होना तो कोई उपराध नहीं है।

[अनुवाद]

डा. अरून कुमार शर्मा (लखीमपुर) : अल्पसंख्यक सम्प्रदायों की कीमत पर ...**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : कश्मीर में सूफी विचारधारा का विकास हुआ। जब हिन्दू और मुसलमान साथ आये, जब चिंतक मिले तब सूफी विचारधारा पनपी। मुझे मालूम है कि जब अमरनाथ के मंदिर के लिए यात्री जाते है तो उसमें मुसलमान किस तरह से योगदान देते हैं यात्रियों को कंधे पर ले जाते हैं और सोमनाथ में मिलने वाली जो पूजा की रकम है। ...**(व्यवधान)** उसमें

कुमारी ममता बनर्जी : सोमनाथ नहीं, वह अमरनाथ है। ...**(व्यवधान)**

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मुझे सारे नाथ एक ही दिखाई देते हैं। ...**(व्यवधान)** उसमें मुसलमान भाइयों को हिस्सा मिलता है। यह परम्परा कौन तोड़ना चाहता है? इसका योजनाबद्ध प्रयास हो रहा है। सीमा के पार से भी हो रहा है। आखिर चरार-ए-शरीफ को आग की भेंट क्यों चढ़या गया? उन आतंकवादियों को यह पसन्द नहीं था कि कश्मीर की घाटी में, अलग-अलग समाज के लोग, अलग-अलग धर्म के लोग, जातियों के लोग मिलकर रहें। चुनाव के बाद जो दृश्य बना, उसमें कुछ क्षेत्रों में ये उम्मीद की जा रही है कि भारत कमजोर हो जायेगा, भारत में अस्थिरता आ जायेगी और भारत अपने राष्ट्रीय उद्देश्यों से डिग जायेगा। मैं ऐसी बाहरी ताकतों को और भीतरी शक्तियों को भी चेतावनी देना चाहता हूं कि जो भी परिवर्तन आयेंगे, वे परिवर्तन हम हजम करेंगे। जो भी परिवर्तन आयेंगे, उन्हें हम सहन करके अपने को उनके अनुसार ढालेंगे। मगर हम भारत के राष्ट्रीय हितों की पूरी तरह से रक्षा करेंगे।

देश की कुछ नीतियां हैं जिन पर आम सहमति है। यह सहमति पुरानी सरकार ने भी बनाए रखी। नेहरू जी के जमाने से बनी हैं। मैंने जब विदेश नीति पर पहला भाषण दिया था तो मैंने कहा कि गुट निरपेक्षता की नीति पंडित जी अपकी नीति नहीं है। अगर आप न होते तो भी भारत को गुट निरपेक्षता की नीति पर ही चलना था। देश किसी गुट में जाने की भूल नहीं कर सकता। हम इतना छोटा देश नहीं हैं कि कोई उसको जेब में रख ले और हम उसके पिछलग्गू हो जायें। अपनी आजादी के लिए लड़े, दुनिया की आजादी के लिये लड़े और बाद में हम किसी गुट में चले जायें? ऐसा नहीं हो सकता था। गुटों से अलग रहने की नीति सही नीति थी और देश उस पर चलता रहा।

अपराह्न 1.00 बजे

मगर आज नए संकट खड़े हो रहे हैं शीत युद्ध की समाप्ति के कारण। हमारे चारों तरफ का सुरक्षा का वातावरण बिगड़ रहा है। इस संक्रमणकाल में दबाव बढ़ने की आशंका है, आर्थिक दबाव भी और सुरक्षा के मामले में दबाव भी। जहां तक मेरी सरकार का संबंध है, हम उन दबावों के सामने झुकेंगे नहीं, यह मैं आपकों आश्वासन देना चाहता हूं और मुझे विश्वास है कि इसमें सारे सदन का और सारे देश का मुझे सहयोग मिलेगा।

अध्यक्ष महोदय, भोजनोपरान्त जब थोडी सी जठराग्नि शान्त हो जाए, उसके बाद मैं आहूति डालूंगा।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि भा.ज.पा. को एक घंटे और छप्पन मिनट का समय आबंटित किया गया है जिसमें से एक घंटा और सत्रह मिनट का समय बीत चुका है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं केवल सूचित कर रहा हूं। प्रधानमंत्री जितना भी चाहे, उतना समय ले सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : व्यवधानों का क्या होगा?

[अनुवाद]

अपराह्न 1.01 ½ बजे

सभापति तालिका के बारे में घोषणा

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, मुझे यह सूचित करना है कि प्रक्रिया नियम के नियम 9 के अन्तर्गत मैंने निम्नलिखित सदस्यों को सभापति तालिका के लिए नाम-निर्दिष्ट किया है :

1. श्री चित्त बसु
2. श्री नीतिश कुमार
3. श्रीमती गीता मुखर्जी
4. श्री पी.एम. सईद
5. श्रीमती विजयाराजे सिंधिया
6. प्रो. रीता वर्मा

अपराह्न 1.02 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिये अपराह्न 2 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.01 बजे

लोक सभा अपराह्न 2.01 बजे भोजनावकाश के उपरान्त पुनः समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

मंत्रिपरिषद में विश्वास के प्रस्ताव पर चर्चा—जारी

प्रधान मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : अध्यक्ष महोदय, अपने भाषण को उपसंहार की ओर ले जाते हुए मैं एक मुद्दा उठाना चाहता हूं।

इस सदन में और देश के भीतर भी इस सवाल पर एक आम राय है कि समाज में परिगणित जाति के पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं, उसके साथ ऐतिहासिक कारणों से, समाज व्यवस्था के दोषों के परिणामस्वरूप न्याय नहीं हुआ। उन्हें बराबरी के अवसर नहीं मिले और इसलिए वह दौड़ में पिछड़ते गये। समाज के बाकी के वर्गों के साथ कदम से कदम मिलाकर नहीं चल सके। संविधान में जनजातियों के लिए और पिछड़े वर्गों के लिए भी, जो शिक्षा और समाजिक दृष्टि से पिछड़े हैं, उनके लिए आरक्षण का प्रबन्ध किया था। आरक्षण के सम्बन्ध में जब भी फैसले हुए, सर्व सम्मति से फैसले हुए। इस सवाल पर एक आम राय रही है। सुप्रीम कोर्ट के इस मामले में फैसले के बाद पिछड़े वर्ग से सम्बन्धित आरक्षण पर यह निर्णय हुआ है कि जिन राज्यों में 50 फीसदी से ज्यादा आरक्षण पहले से चल रहा है, वहां तो चलता रहे लेकिन अन्य राज्यों में पिछड़े वर्ग के लिए 50 फीसदी से अधिक आरक्षण नहीं होना चाहिए। डा. अम्बेडकर ने भी संविधान परिषद में इस बात का समर्थन किया था कि आरक्षण की सीमा 50 फीसदी रहनी चाहिए। शेष 50 फीसदी स्थान प्रतियोगिता के लिए छोड़ दिये जाने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें क्रीमिलेयर की चर्चा की और यह चाहा कि कोई कमेटी बने जो क्रीमिलेयर को तय करे। जो पिछड़े हुओं में भी अधिक पिछड़े हुए हैं, उनकी पहले चिंता करे, उनका पहले ध्यान करे। बिहार के स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर गरीबों के साथ अति-गरीब की बात करते थे। पिछडे वर्ग में जो साधन सम्पन्न हैं, जिनके पास जमीन है, जिनका गांव में प्रभाव है, वे तो अपनी उन्नति आप करने में समर्थ हैं, अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं, उनके लिए मदद की आवश्यकता नहीं है। लेकिन कई प्रदेशों में सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को ईमानदारी से लागू नहीं किया गया। अलग-अलग कारण दिये गये हैं और इस निर्णय को निष्फल कर दिया जाये, इस बात का प्रयास किया गया है। इस सम्बन्ध में सब दलों से परामर्श करके समाज के विभिन्न वर्गों से चर्चा करके एक निश्चित और स्पष्ट नीति बनाने की आवश्यकता है।

अध्यक्ष महोदय, इस समस्या का एक और पहलू है। हम सामाजिक न्याय से प्रतिबद्ध हैं। जिनके साथ अभी तक न्याय नहीं हुआ, उनके साथ न्याय होना चाहिए, जल्दी न्याय होना चाहिए। समाज में जो भेदभाव है वह दूर होना चाहिए। इसके लिए कानून की भी सहायता ली गई है। लेकिन यह बहुत आवश्यक है कि विषमता दूर करते हुए सामाजिक कटुता पैदा न की जाये, जातीयता को न भड़काया जाये। आज जाति के सवाल पर देश बंटा हुआ दिखाई देता है। यह जातिवाद का जहर समाज के हर वर्ग में पहुंच रहा है। यहां तक कि सेवाएं भी इससे अछूती बची है, ऐसा विश्वासपूर्वक नहीं कहा जा सकता। यह स्थिति सबके लिए चिंताजनक है। अगर हम इसकी ओर ध्यान नहीं देंगे तो साम्प्रदायिकता के अभिशाप से देश पहले से ग्रसित है, और एक नई समस्या खड़ी हो जायेगी, जो समाज के ढांचे को क्षति पहुंचायेगी, गांव-गांव में समस्या पैदा करेगी। हमें सामाजिक समता भी चाहिए और समरसता भी चाहिए।

पंचायत राज संस्थाओं का निर्माण करके, उनका विकास करके और पंचायतों में सबको भागीदारी देकर और विशेषकर महिलाओं को उनका अधिकार देकर हमने जो उठाया है, उस कदम का अगर सुपरिणाम प्राप्त करना है तो उसके साथ सम्बन्ध में भी दृष्टिकोण में परिवर्तन की आवश्यकता है।

मुझे विश्वास है कि सदन इस सवाल पर गौर करेगा और इस सम्बन्ध में एक सर्वसम्मत नीति निर्धारित की जायेगी, जो सामाजिक न्याय को पुष्ट करे, मगर सामाजिक समरसता को भंग न होने दे। समरसता का अर्थ यह नहीं है कि कुरीतियों को सहन किया जाये। समरसता का अर्थ यह नहीं है कि दबे हुए, पिछड़े हुओं के साथ दुर्व्यवहार किया जाये, लेकिन समरसता का अर्थ यह है कि हम सब

भारत माता के पुत्र-पुत्रियां हैं, हमें मिलकर अपनी समस्याओं को हल करना है। एक दूसरे के प्रति करूणा, संवेदना का भाव रखना है। कोई सुधार अगर उसके मूल में करूणा नहीं है, कोई सुधार अगर उसके मूल में संवेदना नहीं है तो कानून की दृष्टि से थोड़ा बहुत लाभ पहुंचा सकता है, मगर समाज में स्थाई परिवर्तन नहीं ला सकता। जरूरत है कि समाज में स्थाई परिवर्तन लाने के लिए कदम उठाये जायें।

[अनुवाद]

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : क्या विपक्ष के नेता नहीं बोल रहे हैं?...**(व्यवधान)**...मेरा जानकारी का प्रश्न है।

एक माननीय सदस्य : इसका निर्णय हम करेंगे।

श्री राम नाईक : यह आपका निर्णय होगा। लेकिन मैं अध्यक्ष महोदय से यह पूछ रहा हूं कि क्या विपक्ष के नेता बोलेंगे अथवा नहीं।

अध्यक्ष महोदय : यह पार्टी का आन्तरिक निर्णय है।

[हिन्दी]

श्री शरद पवार (बारामती) : इस विश्वास प्रस्ताव पर विरोध करने से पहले मैं श्रद्धेय प्रधानमंत्री और आधुनिक देश के शिल्पकार पंडित जवाहर लाल नेहरू को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। साथ-साथ उनसे माफी मांगता हूं कि उन्होंने अपने जीवन में प्रजातन्त्रीय जीवन में एकता मानी और संसदीय लोकतंत्रीय पद्धति के बारे में उन्होंने हमेशा ही अच्छी तरह से सोचा। वह सदन में कई सालों तक प्रजातंत्र की रक्षा करने के लिए बैठे थे मगर आज उसी सदन में जिनको बहुमत नहीं है, ऐसे व्यक्ति प्रधानमंत्री के पद पर यहां बैठे हैं और एक तरह से प्रजातंत्र को कलंकित करने का काम यहां हो रहा है...**(व्यवधान)**

श्री राम नाईक : लास्ट टाईम किसको बहुमत मिला था?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए। आपको व्यवधान करने का कोई अधिकार नहीं है।

[हिन्दी]

श्री शरद पवार : अध्यक्ष जी, मैं प्रधानमंत्री जी की बड़ी इज्जत करता हूं। यह सज्जन व्यक्ति हैं। वह माननीय हैं। उन्होंने संघ परिवार में रहकर भी अपना कवि मन सम्भाला है। संघ परिवार में रहते हुए उन्होंने विचारों में संतुलन बनाये रखने की हमेशा कोशिश की है। उन्होंने अपनी पार्टी को गांधीयन शोसलिजम का विचार देने की भी कोशिश की है। जब बाबरी मस्जिद शहीद हुई...**(व्यवधान)**...तब उन्होंने कहा था कि "मैं राजनीति के योग्य नहीं हूं" फिर भी इतनी इज्जत करने के बाद भी मैं...**(व्यवधान)**...फिर भी इतनी इज्जत करने के बाद भी माननीय प्रधानमंत्री अटल जी जो विश्वास प्रस्ताव लाये हैं, उसका विरोध करना मैं अपना फर्ज समझता हूं क्योंकि ग्यारहवीं लोकसभा के चुनाव में उनको बहुमत तो दूर एक तिहाई सीटें भी नहीं मिली हैं और आज यहां बैठे हैं।...**(व्यवधान)**

श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद) : आपके पास कितनी सीटें हैं?

श्री शरद पवार : सभी साथी लोगों की मदद लेने के बाद... **(व्यवधान)**...बड़ा दुःख हो रहा है, अध्यक्ष जी। एक-तिहाई भी सीट मिले बिना इस जगह पर आप बैठे हैं। ऐसा करने के बाद इनको बड़ा दुःख हो सकता है, मैं समझ सकता हूं आपकी व्यथा। यहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में आ गई, तब इस देश के करोड़ों लोगों की चिन्ता भी बढ़ गई। ये सभी लोग देखने के बाद जो उनके साथी हैं, जिन्होंने उनको समर्थन दिया है, यह सभी देख कर लगता है कि 190 से ज्यादा उनको समर्थन हो नहीं सकता है।...**(व्यवधान)** फिर भी भारत के माननीय राष्ट्रपति जी ने सिंगल लर्जेस्ट पार्टी के नाते समझ इनको बुलाया। इससे मुझे दुःख नहीं है, मगर मुझे दुःख इस बात का है कि जब उनको मालूम था...**(व्यवधान)** जब उनके पास समर्थन नहीं है, फिर भी सरकार बनाने का प्रयास यहां किया और एक तरह से प्रजातन्त्र को कलंकित करने का काम यहां हुआ है। यहां बहुमत नहीं है। मिले हुए वोट भी कांग्रेस से कम हैं और बहुत बातें कही गई। कहा गया जनादेश है, मगर मिले हुए वोट भी कांग्रेस से कम हैं। ...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री गुमान मल लोढा (पाली) : माननीय अध्यक्ष महोदय मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री सुरेश कलमाडी (पुणे) : आप किस नियम के अन्तर्गत इसे उठा रहे हैं?

श्री गुमान मल लोढा : सरकार बनाने के लिए श्री वाजपेयी को माननीय राष्ट्रपति जी ने आमंत्रित किया था। यह माननीय राष्ट्रपति पर आक्षेप है इनका यह कहना कि उन्होंने कलंकित किया... **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : व्यवस्था का प्रश्न एक विशेष नियम के अन्तर्गत उठाया जा सकता है। आप इसे किस नियम के अन्तर्गत उठा रहे हैं? आप उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। आपको निमय का पता होना चाहिए।

डा. देवी प्रसाद पाल (कलकत्ता उत्तर पूर्व) : वे इस बात से पूर्णतया अवगत थे कि वे किसी भी तरह सरकार नहीं बना सकते हैं।. ..**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री शरद पवार : कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी को राष्ट्रीय जनादेश मिला है। अध्यक्ष जी, यहां बहुमत में कांग्रेस से वोट कम हैं और भारत के 19 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को एक भी सीट मिली नहीं है। समर्थन भी नहीं मिला है। असम में एक छोड़ कर एन्टायर नार्थ ईस्ट, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, केरल, तमिलनाडु, आन्ध्र प्रदेश, गोवा, पंजाब आदि राज्यों में एक भी सीट नहीं मिली है और राष्ट्रीय जनादेश की बात यहां कही जाती है।